

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	765 के 0वीं सिंगल सर्किट मैनुअली-बात : CK-1 पारेखन लाइन निर्माण हेतु मैनुअली, औरैया, कानपुर रेघट, कानपुर नगर, फतेहपुर, पृथगराज वन प्रभागों की कुल 10.2019 हे० वन भूमि के गैरवाणिज्यीय उपयोग की अनुमति है
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	: उ०उ०
ii)	जिला	: कानपुर नगर
iii)	वन प्रभाग	: सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर
iv)	वनेतर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र	: 0.3456 हे०
v)	वन का कानूनी स्थिति	: संरक्षित वन
vi)	हरियाली का घनत्व	: 0.4
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किया जाये)	: कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
viii)	भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	: नहीं
ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	: प्रस्तावित पारेखन लाइन वन श्रेष्ठ के ऊपर से गुजरेगी।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	: नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	: नहीं
xxi)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	: नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	: प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:- (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	: नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण का व्योरा	:
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	: -
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	: -

		वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	
	vi)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिध्यय	: -
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयेक्तता के बारे में प्रबन्धकी दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	: -
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न कर)	: सेल-1 है
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	: -
	i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	: -
	ii)	जिले का वन क्षेत्र	: -
	iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	: -
	vi)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	: -
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण	: -
		(ख) वनेत्तर भूमि पटन	: -
	v)	तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	: -
		(क) वनभूमि	: -
		(ख) ऊसर भूमि पर	: -
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	: प्रस्ताव को स्वीकृत किया जायेगी संरक्षक की जाती है।


 (अरविन्द कुमार यादव)
 प्रभागीय निवेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 काठपुर